

रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी
Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi
Gwalior Road, Jhansi 284003

F.No. 17263/RLBCAU/R/2023


Dated : 04.11.2023

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में उपलब्ध पुराने समाचार पत्र, उत्तर पुस्तिकार्यों एवं विभिन्न प्रकार की कतरन उपरान्त रद्दी की नीलामी की जानी है। क्य करने हेतु इच्छुक फर्मों से बंद लिफाफे में निविदार्यों आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा बंद लिफाफे में दिनांक 21.11.2023 प्रातः 11 बजे तक पंजीकृत डाक/व्यक्तिगत रूप से कुलसचिव, रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर रोड, झांसी पिनकोड 284003 में जमा कराई जा सकती हैं। बंद लिफाफे में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 21.11.2023 को दोपहर 03 बजे उपस्थित फर्मों एवं विश्वविद्यालय की समिति के समक्ष खोला जायेगा। किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय समिति के पास सुरक्षित होगा।

निविदा प्रपत्र एवं नियम व शर्तें विश्वविद्यालय की बेबसाइट www.rlbcau.ac.in से डाउनलोड की जा सकती हैं।


उप कुलसचिव

निविदा के नियम एवं शर्तें

1. कार्यालय दस्तावेज एवं परीक्षा सम्बन्धी दस्तावेज विश्वविद्यालय कार्यालय में विवि की समिति के सम्मुख करतरन कराना अनिवार्य होगा तदूपरान्त ही क्रेता को ले जाने के लिये उपलब्ध होगा।
2. कार्यालय एवं परीक्षा सम्बन्धी दस्तावेज क्रेता द्वारा विश्वविद्यालय परिसर से करतरन कर बाहर ले जाया जाएगा। इसे क्रय करने के उपरान्त पेपर मिल में रिसाइकिलिंग हेतु प्रयोग किया जायेगा। उस हेतु क्रेता द्वारा लिखित शपथ पत्र विवि कार्यालय में जमा कराना होगा।
3. पुराने समाचार पत्र बिना करतरन के क्रय कर ले जाने की अनुमति होगी।
4. क्रेता की फर्म नियमानुसार अधिकृत सरकारी विभाग में रजिस्टर्ड होनी चाहिए जिसका स्पष्ट विवरण रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में उल्लिखित होना चाहिए कि उक्त फर्म स्कैप के कार्य हेतु अधिकृत है।
5. दस्तावेजों की गोपनीयता के मद्देनजर क्रेता पेपर मिल अथवा रिसाइकिल करने वाली किसी फर्म/संस्था को ही विक्रय के लिये बाध्य होगा। उक्त रद्दी को खुले बाजार में नहीं देगा। इस आशय का शपथ पत्र क्रेता द्वारा विश्वविद्यालय में जमा किया जायेगा।
6. न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार झाँसी होगा।
7. निविदा उच्च बोली दाता को ही प्रदान की जायेगी।
8. सुरक्षा राशि - 5000/- बोली में शामिल होने से पूर्व जमा करनी होगी। (D.D. के रूप में)

निविदा के निर्देश

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट rlbcau.ac.in से डाउनलोड किए गए निविदा दस्तावेज ही स्वीकार्य हैं, तथा आवेदन के साथ रु. 5,000/- की ईएमडी राशि (डी.डी.) संलग्न होनी चाहिए। निविदा दस्तावेज जमा करने के समय विश्वविद्यालय में देय नाम के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी डिमांड ड्राफ्ट (ई.एम.डी. राशि), को देय के बिना प्रस्तुत की गई निविदाएं सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी। निविदाकर्ता का नाम डिमांड ड्राफ्ट के पीछे लिखा जा सकता है।

21.11.2023

समय.. 11:00

1. सीलबंद निविदा कुलसचिव कार्यालय में रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में दिनांक 21.11.2023 बजे या उससे पूर्व जमा होनी चाहिए। जिस वस्तु से निविदा संबंधित है लिफाफे पर स्पष्ट लिखा होना चाहिए। निपटान के लिए निविदा नियत दिन अपराह्न तीन बजे खोली जा सकती है।
2. दरों को संलग्न प्रपत्र में दर्शाई गई इकाइयों के अनुसार आइटम-वार उद्धृत किया जाना आवश्यक है। सभी राशियों को शब्दों के साथ-साथ अंकों में भी दर्शाया जाएगा, जहां अंतर हो शब्दों और अंकों में उद्धृत राशि के बीच, शब्दों में उद्धृत राशि मान्य होगी।
3. निर्धारित तारीख और समय के बाद प्राप्त होने पर निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. विश्वविद्यालय निविदाओं के प्राप्त होने की किसी भी देरी या हानि या गैर-प्राप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
5. नवीनतम सरकारी पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए।
6. विश्वविद्यालय को किसी भी निविदा को बिना कारण बताए आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है।
7. किसी भी परिस्थिति में टेलेक्स/टेली-फैक्स/ई-मेल के माध्यम से प्राप्त निविदाएं विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी।
8. कीमतें -उच्चतम स्वीकार्य होगी।
9. घोषणा पत्र
(ए) निविदा दाता को एक वचन पत्र देना होगा कि उनके द्वारा खरीदी गई सामग्री खुले बाजार में नहीं बेची जाएगी और इसका उपयोग केवल पेपर मिल में रीसाइकिलिंग के लिए किया जाएगा।
(बी) यह उपक्रम नोटरी पक्षिक द्वारा विधिवत नोटरीकृत 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रस्तुत किया जाएगा।
10. उपरोक्त अपशिष्ट पदार्थों/रद्दी का वजन सम्बंधित विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा।
11. निविदा प्राप्त होने के उपरांत सम्बंधित फर्म/एजेंसी द्वारा वर्गीकरण, बंडलिंग, लदान आदि के लिए आवश्यक मानव शक्ति, सामान आदि का वहन स्वयं किया जाएगा सामग्री पैक करने हेतु प्रयुक्त बारदाने व्यय निविदाकर को स्वयं वहन करना होगा।
12. विक्रेता को कुल तौली गई सामग्री की पूरी कीमत निविदा में तय दर के अनुसार जमा करनी होगी। विश्वविद्यालय में कर, यदि कोई हो, तो निविदाकर को देना होगा, निपटान सामग्री को निविदाकर्ताओं की अपनी लागत पर विश्वविद्यालय परिसर से ले जाने की अनुमति दी जाएगी।
13. यदि निविदाकर्ता की सेवा असंतोषजनक है तो दर अनुबंध किसी भी समय समाप्त कर दिया जाएगा और ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
14. निविदा और संबंधित मामलों के नियमों और शर्तों से उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति में, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी एकमात्र निर्णयक प्राधिकारी होंगे तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार झाँसी न्यायालय होगा।

मुहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

सीलबंद लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से अपशिष्ट कागज के निपटान के लिए निविदा लिखा हुआ होना चाहिए तथा निविदा प्रपत्र कुलसचिव, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय को दिनांक 21.11.2023 अपसह 11:00 बजे तक बंद लिफाफे में निम्नलिखित को शामिल कर जमा करना होगा।

1. विधिवत भरा हुआ, हस्ताक्षरित एवं मुद्रिकित निविदा दस्तावेज।
2. 5000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट 'रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी' के पक्ष में आहरित।
3. एकल स्वामित्व/ साझेजारी फर्म मिल के पंजीकरण का स्वप्रमाणित दस्तावेजी प्रमाण पत्र।
4. बिक्री कर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति।
5. पैन की स्वप्रमाणित प्रति।

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी

गोपनीय रही/पुरानी उत्तर पुस्तिका पत्रों आदि की बिक्री हेतु कोटेशन प्रपत्र,
(बोली दाताओं द्वारा भरा जाना है)

1. कंपनी/ एजेंसी का नाम
.....
.....
2. पता
.....
.....

3. प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता का नाम
.....
.....
4. पंजीकरण संख्या (एक प्रति संलग्न करें)
.....
.....
5. पैन नंबर (एक प्रति संलग्न करें)
.....
.....

उद्धरण

क्रम संख्या	वस्तुओं की बिक्री	दर/किलो. रु.
1	प्रयुक्त और पुराने उत्तर पुस्तिका	
2	अपशिष्ट कार्टन बॉक्स	
3	अपशिष्ट फटे हुए कागज	
4	बैकार कपड़े से बने कवर	
5	समाचार पत्र	
6	अन्य	

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निविदा शुल्क और ईमडी राशि संलग्न हैं-

क्र.सं.	वस्तुओं का विवरण	निविदा शुल्क बैंक का नाम, डीडी नंबर और तारीख	ईमडी राशि बैंक का नाम, डीडी नंबर और तारीख
1	प्रयुक्त और पुराने उत्तर पत्र		
2	अपशिष्ट कार्टन बॉक्स		
3	अपशिष्ट फटे हुए कागज		
4	बैकार कपड़े से बने कवर		
5	समाचार पत्र		
6	अन्य		

मैं(नाम) स्वामी/निदेशक/साझीदार/प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता हूँ.....
(फर्म का नाम) का पंजीकृत कार्यालय हूँ मैं सत्पनिष्ठा से पुष्टि एवं घोषणा करता हूँ कि मैं/हम राज्य/केंद्र सरकार/स्थानीय सरकार के सभी नियमों और विनियमों का पालन करने का वचन देते हैं। गोपनीय अपशिष्ट/पुराने उत्तर पुस्तिका आदि की बिक्री और निपटान के संबंध में, और अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन न करने के कारण होने वाले किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी होगें।

हस्ताक्षर.....
प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता का नाम.....
कंपनी/एजेंसी की मुहर पता सहित.....

दिनांक

ध्यान दें : इसी उद्देश्य के लिए बोली सुरक्षा/ईमडी के रूप में पहले जमा की गई किसी भी राशि पर इस कोटेशन के विरुद्ध विचार नहीं किया जाएगा।